फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थीः—उदा विपक्षीः— रूपा

किस्म मुकदमाः—प्रार्थना पत्र पत्रावली संख्याः—89 / 19 सनः— 2019

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	20.01.2020 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में पैरवी हेतु कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण लम्बे समय से संशोधित अनवान एवं जवाब हेतु लम्बित है, ना तो प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा संशोधित अनवान पेश किया गया है, ना हि विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है, ना हि परवी हेतु आज कोई पक्षकार उपस्थित ही हुआ है। न्यायालय समय में रूक—रूक कर तीन बार आवाज भी लगवायी गयी किन्तु न्यायालय समय समाप्त होने तक कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। जिससे जाहिर है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के प्रति गम्भीर नहीं है एवं इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्टेज पर अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। डा0 मंजु (आइ.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0) गिर्वा — उदयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2020.02.25 14:25:12 IST
Reason: SelfAttested